E-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संचिका सं0– 02/भू0अ0नि0 (3) योजना– (आवंटन)–02/2025......1848......

प्रेषक,

कमलेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

सेवा में,

बन्दोबस्त कार्यालय,
पश्चिम चम्पारण (बेतिया)

पटना दिनांक :- 24/04/2025

विषय :– मुख्य शीर्ष– 2029–भू–राजस्व–उप मुख्य शीर्ष –00– लघु शीर्ष 102– सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष –0101– सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) का पत्रांक 357 दिनांक 21.04.2025 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर M.J.C No. 2325/2024 में पारित आदेश के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु वेतनादि मद में कुल– **18,00,000/– (अठारह लाख)** रूपये मात्र का आवंटन अधियाचना के आलोक में निम्नानुसार निर्गत किया जाता है :–

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जी0या0 भत्ता	01 04 मकान भत्ता	01 05 परिवहन भत्ता	01 06 चिकित्सा भत्ता	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	10,00,000	5,00,000	2,00,000	50,000	50,000	18,00,000

(अठारह लाख रूपये मात्र)

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राज्यादेश संख्या 12492 दिनांक 15.06.2024 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3. अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड **40– 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा सकें।

6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
7. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
8. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन

24/4/25

(कमलेश कुमार सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 02/भू0अ0नि0 (3) योजना– (आवंटन)–02/2025..1848.......... **पटना, दिनांक** :– 24/04/2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/25
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 02/भू0अ0नि0 (3) योजना– (आवंटन)–02/2025..1848.......... **पटना, दिनांक** :– 24/04/2025

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/4/25
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 02/भू0अ0नि0 (3) योजना– (आवंटन)–02/2025..1848.......... **पटना, दिनांक** :– 24/04/2025

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

24/4/25
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

E:\Year 2025 Om\Kamlesh Ji\Allotment 2025-26\Plan 0101\file no 02- 2025 0101 01 West Champaran Salary 24.04.2025.doc